

स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No.11-9/98-FC दिनांक 16.06.2011 के अनुसार 5.000 हे. तक LWE के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है।

A

(राजु अगसिमनि)

भा.व.से.

वन मंडलाधिकारी

बस्तर वनमंडल जगदलपुर